संख्या-129/2017/1236/6-पु-7-2017-210/2009

प्रेषक,

मणि प्रसाद मिश्र
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक,
उ0प्र0 पुलिस आवास निगम लि0
लखनऊ ।

गृह (पुलिस) अनुभाग 7 लखनऊ दिनांक 25 सितम्बर, 2017

विषय- वेतन समिति 2016 के प्रथम प्रतिवेदन की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयानुसार उ0प्र0पुलिस आवास निगम के विभिन्न श्रेणी के कार्मिकों को पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स तथा अन्य भत्ते एवं सुविधाएं स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उ0प्र0पुलिस आवास निगम, गोमतीनगर लखनऊ के पत्र संख्या:464/पुआनि/व-22/16-17 दिनांक 05.06.2017, के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वेतन समिति 2016 के प्रथम प्रतिवेदन की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयानुसार सार्वजनिक उद्यम अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-1/2017/1415/44-1-2016-53/2016 दिनांक 03 जनवरी, 2017 में विहित शर्तो/प्रतिबन्धों/निर्देशों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय, उ0प्र0पुलिस आवास निगम लि0 के विभिन्न श्रेणी के कार्मिकों को पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स तथा अन्य भत्ते एवं सुविधाएं स्वीकृत किये जाने की सहर्ष स्वीकृति निम्न शर्तों के अधीन सहर्ष प्रदान करते हैं:-

(1) उ0प्र0पुलिस आवास निगम लि0 के कार्मिकों को पुनरीक्षित वेतन संरचना चुनने का विकल्प वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-67/2016/वे0आ0-2-1447/दस-04(एम)/2016 दिनांक 22.12.2016 के अनुसार होगा, इस सम्बन्ध में संबंधित कार्मिकों द्वारा संलग्न प्रारूप-2 के अनुसार विकल्प प्रस्तुत किया जायेगा। आलेख्य के साथ विकल्प का प्रारूप (राज्य कर्मचारियों के लिए वेतन निर्धारण से संबंधित शासनादेश दिनांक 22 दिसम्बर, 2016 का संलग्नक-2) संलग्न है ।

(2) राज्य कर्मचारियों के लिए वेतन निर्धारण से संबंधित शासनादेश दिनांक 22 दिसम्बर, 2016 के संलग्नक-3 में वचनबंध का प्रारूप संलग्न है, जिसे संबंधित कार्मिक द्वारा विवरण पत्र के साथ प्रस्तुत करना होगा ।

(3) पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के अनुसार कार्मिकों का वेतन निर्धारण एवं वार्षिक वेतन वृद्धियां दिये जाने की व्यवस्था वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-67/2016/वे0आ0-2-1447/दस-04(एम)/2016 दिनांक 22.12.2016 की व्यवस्थानुसार किये जाने का उल्लेख कर दिया गया है , जिसका अनुपालन किया जाय। (शासनादेश की प्रति संलग्न)

(4) ऐसे सार्वजनिक उपक्रम/निगम जहां ए0सी0पी0 की व्यवस्था लागू है, वहां पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में ए0सी0पी0 की अनुमन्यता हेतु निर्धारित मापदण्ड "संतोषजनक सेवाओं" के स्थान पर "बहुत अच्छा" रखे जाने की व्यवस्था की जाय ।

http://shasanadesh.upnic.in

(5) पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स अनुमन्य कराये जाने के फलस्वरूप देय अवशेष के भुगतान की व्यवस्था राज्य कर्मियों के लिए लागू व्यवस्था से अधिक आकर्षक नहीं होगी। उ0प्र0पुलिस आवास निगम लि0 के कार्मिकों को पुनरक्षित वेतन मैट्रिक्स में भुगतान शासनादेश निर्गत होने की तिथि से नगद दिया जायेगा तथा दिनांक 01 जनवरी, 2016 से शासनादेश निर्गत होने की तिथि तक अवशेष का भुगतान वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-67/2016/वे0आ0-2-1447/दस-04(एम)/2016 दिनांक 22.12.2016 के प्रस्तर-10 के अनुसार कर्मचारी के विकल्प के आधार पर एन0एस0सी0 के रूप में अथवा पी0पी0एफ0 खाते में जमा किया जायेगा।

(6) आलेख्य के साथ उ0प्र0पुलिस आवास निगम लि0 पर लागू पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स संलग्नक-1 संलग्न है ।

(7) उ0प्र0पुलिस आवास निगम लि0 के कार्मिकों के वेतन पुनरीक्षण के फलस्वरूप आने वाला सम्पूर्ण व्यय उ0प्र0पुलिस आवास निगम लि0 द्वारा अपने संसाधनों से वहन किया जायेगा और इसके लिए राज्य सरकार द्वारा उ0प्र0पुलिस आवास निगम लि0 को कोई वित्तीय सहायता नहीं दी जाएगी।

(8) पुनरीक्षित वेतनमान पर सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुसार समय-समय पर देय मंहगाई भत्ता नियमानुसार देय होंगे ।

2- कृपया उपरोक्तानुसार अग्रेतर कार्यवाही करने एवं कृत कार्यवाही से शासन को भी अवगत कराने का कष्ट करें ।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या:ई-12-956/दस-2017 दिनांक 25 सितम्बर, 2017 द्वारा प्राप्त सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय,

मणि प्रसाद मिश्र

सचिव।

संख्या-1236(1)/6-पु0-7-2017 तद दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- प्रमुख सचिव, सार्वजनिक उद्यम विभाग, उ0प्र0 शासन ।
2- प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन ।
3- प्रमुख सचिव, न्याय विभाग, उ0प्र0 शासन ।
4- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद।
5- वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-1/2
6- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-12
7- सार्वजनिक उद्यम अनुभाग 1/2
8- महालेखाकार (वाणिज्यिक) उ0प्र0 लखनऊ ।
9- गार्ड बुक/संबंधित समीक्षा अधिकारी।

आज्ञा से,

सुनील कुमार पाण्डेय

उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in